न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी– राजवीर सिंह चौधरी (आर.ए.एस.)

अपील संख्याः 03/2019

1. बिरमा पत्नी श्री रामजस जाति बिश्नोई सकिन चक 2 पीपीएम जरिये मुखत्यार आम विष्णुदत्त पुत्र श्री कृष्णलाल जाति बिश्नोई सकिन चक 2 पीपीएम तहसील सूरतगढ

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व तहसील सूरतगढ

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थितः–

3. अधिवक्ता अपीलांट श्री शिशपाल शर्मा
4. पैरोकार राज.

निर्णय

दिनांकः 24.7.2019

1. यह अपील बहुकम व आदेश तहसीलदार राजस्व सूरतगढ दिनांक 21.01.2019 प्र.स. 05/2019 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गई। संक्षेप में अपील के तथ्य निम्न प्रकार हैं कि अपीलांट के नाम से चक 2 पी.पी.एम के प.न. 96/393 के किला नं. 20–21 व प.न. 96/394 के किला नं. 1–10–11–20 में खातेदारी रकबा है। इन किलों में से 0.025–0.025 है0 रकबा राजस्व रिकार्ड में रास्ता दर्ज है, परन्तु मोका पर यह रास्ता कभी नहीं चला है, यह रकबा रोही मोहम्मदाबाद के समय से ही अपीलांट का खातेदारी रकबा है। यहा पर कतई रास्ते की आवश्यकता नहीं है फिर भी राजस्व कर्मियों ने इन किलों में से गैर मुमकिन रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर दिया जबकि इस रास्ते को निरस्त करने के लिये उपखण्ड अधिकारी न्यायालय सूरतगढ में कार्यवाही जैरकार है तथा स्थगन भी जारी है फिर भी मातहत न्यायालय ने कानून विपरीत जाकर यह निर्णय दिया। वर्तमान प्रकरण में विवाद बिन्दु यह है कि अपीलांट इस रकबा का हकदार है या नहीं, यह रास्ता निरस्त होगा या नहीं यह सारे तथ्य उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ के समक्ष जैरकार कार्यवाही में तय होगा परन्तु फिर भी मातहत अदालत ने इस कार्यवाही में निर्णय होने से पहले जैर अपील आदेश जारी कर दिये है जबकि मातहत न्यायालय ने यह रास्ता अर्सादराज से बन्द है कि रिपोर्ट उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ को भेजी जा चुकी ह। इसलिए अपील अस्वीकार योग्य है।
2. उक्तानुसार प्रार्थना पत्र अपील 03/19 पर दर्ज की जाकर रेस्पोंडेट को जरिये सम्मन तलब किया गया। अपीलांट की और से अधिवक्ता श्री शिशपाल शर्मा पेश हुए एवं रेस्पोडेंट की ओर राज पेरोकार उपस्थित आए।
3. बहस उभय पक्ष सुनी गई। बहस के दौरान अधिवक्ता अपीलांट ने निवेदन किया कि तहसीलदार, सूरतगढ द्वारा अपीलांट को बिना सुने बिना कोई सूचना दिये निर्णय दिनांक 21.01.2019 जारी कर दिया जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत है इसके साथ ही जैर अपील रकबा अपीलांट के खातेदारी रकबा से पैमूद हुआ है चकबन्दी के समय या खसरों के समय यह रास्ता कभी नहीं चला है। यह रकबा रोही मोहमदाबाद के समय से ही अपीलांट का खातेदारी रकबा है । यहां पर कतई रास्ता की आवश्यकता नहीं है फिर भी राजस्व कार्मिकों ने इन किलों में से गैर मुमकिन रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर दिया इस रास्ता को निरस्त करवाने के लिए उपखण्ड़ अधिकारी न्यायालय सूरतगढ़ में कार्यवाही जैरकार है तथा स्थगन भी जारी है। अपीलांट उक्त रकबा को अपने नाम दर्ज करवाने का पूरा हकदार है, मातहत न्यायालय ने बिना अपीलांट को सूने धारा 22 उपनिवेशन अधिनियम की कार्यवाही कर दी जो विधि विपरीत है इसलिए जैरअपील आदेश निरस्ती योग्य है।
4. राज पैरोकार ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलांट अतिक्रमी है एवं उसके द्वारा राजकीय भूमि पर अवैध काश्त करने के कारण तावान कायम किया गया है।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ

Scanned by CamScanner

हमने अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का गंभीरता से अवलोकन मनन चिंतन किया एवं साथ ही उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया। उक्त रास्ता को निरस्त करने के लिए वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ में जेरकार है जिसमें स्थगन आदेश जारी है।

चूंकि उक्त रास्ता अपीलांट के खातेदारी रकबा में है व उक्त रास्ता निरस्त करने बाबत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ चल रहे प्रकरण में स्थगन जारी व उक्त आदेश में रास्ता बंद भी बताया है अतः उक्त तथ्यों के आधार पर हम प्रकरण को रिमाण्ड करना उचित समझते है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सूरतगढ़ को इस आशय के साथ रिमाण्ड की जाती है कि प्रकरण में पुनः पक्षकारों को समुचित अवसर देकर, समुचित तथ्यों की जांच कर विधिसम्मत निर्णय पारित करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़

Scanned by CamScanner